संख्या–1509 / XXVIII–5–2008–160 / 2006

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5 देहरादूनः दिनांक 22 दिसम्बर, 2008

विषयः वित्तीय वर्ष 2008–09 में काशीपुर जनपद ऊधमसिंह नगर में ट्रामा सेन्टर के भवन निर्माण के पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्राशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0– 7प / ट्रामा सेन्टर / 44 / 2006 / 31348 दिनांक 03–10–2008 एवं शासनादेश सं0–813 / XXVIII–5–2008–160 / 2006 दिनांक 14.12.2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि काशीपुर जनपद ऊधमसिंह नगर में ट्रामा सेन्टर के भवन निर्माण के पुनरीक्षित प्राक्कलन रू0 77.14 लाख को टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त संस्तुत लागत रू0 75.80 लाख (रू0 पिचहत्तर लाख अस्सी हजार मात्र) की प्राशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ साथ योजना के अवशेष कार्यो को पूर्ण करने हेतु रू0 12.95 लाख (रू0 बारह लाख पिचानबे हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुये व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

3– प्रत्येक कार्य पर धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकि स्वीकृति प्राप्त कर किया जायेगा तथा कार्य की अनुमोदित लागत तक ही रखा जायेगा। विलम्ब के कारण आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा तथा कार्य को निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4– उक्त धनराशि कोषागार से तत्काल आहरित की जायेगी तथा निर्माण इकाई अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, ऊधमसिंह नगर को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्य प्रारम्भ से

पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा। अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा। स्वीकृति सम्बन्धी मूल शासनादेश की शेष सभी शर्ते यथावत् रहेंगी।

5– स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित बाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराई जायेगी।

6– स्वीकृत धनराशि के आहरण से सम्बन्धित हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानो में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7– धनराशि उन्ही मदों पर व्यय की जाय जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है।

8– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर प्रशासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

9– अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय 31.03.2009 से पूर्व सुनिश्चित कर इसका वित्तीय भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत करें ।

10– एक्स–रे एवं सी0टी0 स्कैन कक्षो की दीवारों की निर्माण हेतु भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के मानकों के अनुसार पूर्व आगणन में व्यवस्था न करने एवं मानकों के अनुसार कुर्सी क्षेत्र फल/विशिष्टिया पूर्व आगणन मे नही करने की भी जिम्मेदारी नियत कर संबंधित दोषी कार्मिक/अधिकारी एवं आगणन बनाने वाले के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

11– उक्त व्यय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 01–शहरी स्वास्थ्य सेवायें 110–अस्पताल और औषाधलय 18–राष्ट्रीय राजमार्गो पर ट्रामा सेन्टर का निर्माण 24–वृहद निर्नाण कार्य के नामे डाला जायगा ।

12– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–402(P)/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/2008 दिनांक 11–12–2008 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

संख्या–1509(1)/XXVIII–5–2008–160/2006 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
3. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंह नगर ।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर ।
8. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, ऊधमसिंह नगर ।
9. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव